न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 77/2019

जी.सी.एम.एस. नं.: 2019/00070

1. परमजीत कौर
2. जिन्द्र कौर
3. जसवीर कौर उर्फ सोमा

पुत्री सोखी सिंह जाति मजवी सिख निवासी आरसीपी कॉलोनी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

—प्रार्थीगण

बनाम

1. माड़ा सिंह पुत्र
2. प्यारा सिंह पुत्र
3. गुड्डी पुत्री

रांझा सिंह जाति मजवी सिख निवासी 25 जीवी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 40 नियम 1 सीपीसी

उपस्थिति :—

1. **श्री प्रेम चुघ, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1—2**
3. **एकपक्षीय, अप्रार्थी सं. 3**
4. **राजपैरोकार**

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 19/12/20

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि चक 25 जी. बी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 86 प.नं. 168/418 का किला नं. 3, 8, 13, 15, 16, 18, 23, 25 का 2.024 है. नाली प्रथम खातेदारी रकबा में प्रार्थीगण के नाम से 0.506 है. एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से 1.518 है. रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित रकबा के अंकित खातेदार टेनेन्ट है इस हैसियत से प्रार्थीगण वाद लाने के विधिक अधिकारी है। चूंकि प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि से दूर निवास कर रहे है और महिला होने के कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 को ठेका पर देकर काश्त करवाते है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है तथा शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जो कि प्रार्थीगण के सगे चाचा व भुआ है, के नाम से दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि को ठेका पर काश्त करवाते थे। जिस कारण से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के पास आये और प्रार्थीगण को कहने लगे कि आप अपनी भूमि को अन्य काश्तकार से ठेका पर काश्त करवाती है जिससे हमारी मुश्तरका खाता की कृषि भूमि में अन्य व्यक्तियों का दखल बढ़ता है व अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि में ट्यूबवैल आदि का पानी लगाया जाता है जिससे भूमि की किस्म खराब हो रही है। इसलिए आप अपनी उक्त भूमि को हमें ही ठेका पर दे दो। जो भी चक में प्रचलित ठेका होगा वह हम आपको प्रत्येक वर्ष समय समय पर अदा करते रहेगे। जिससे आपको ठेका राशि समय पर प्राप्त होती रहेगी व भूमि पर आपके अधिकार भी सुरक्षित रहेगे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के उपरोक्त कथन पर विश्वास करते ते हुए उपरोक्त भूमि काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण 1 व 2 को दे दी। इसके उपरान्त अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को समय पर ठेका राशि देते रहे रहे। जिससे हम प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण के साथ विश्वासिक सम्बन्ध बन गये। अब पिछले कुछ वर्षों से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ठेका राशि समय पर अदा नहीं करते व टाल मटोल करने लगे और जब हमारे द्वारा ठेका राशि की मांग की गई तो कभी फसल खराबा होने व पारिवारिक परिस्थितियां सही नहीं होने का बहाना बनाकर ठेका राशि शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन देने लगे। जिस पर प्रार्थीगण ने सद्भाविक विश्वास कर लिया। परन्तु अप्रार्थीगण ने पिछले दो

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:04 IST
Reason: SelfAttested

वर्ष से प्रार्थीगण को ठेका राशि देना बन्द कर दिया। हमारे द्वारा बार बार मांग करने पर भी अप्रार्थीगण हर बार टाल मटौल करने लगे। जिस पर दिनांक 16.08.2019 को प्रार्थीगण मौतबीरान व्यक्तियों को अपने साथ लेकर अप्रार्थीगण से मिले और उन्हे दो वर्ष की ठेका राशि अदा करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण टाल मटोल करने लगे। जिस पर हम प्रार्थीगण ने पंचायत के समक्ष उन्हे भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को सौंपने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये और पंचायत के समक्ष धमकी दी कि वह न तो भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द करेंगे और ना ही कोई ठेका राशि अदा करेंगे और कहा कि वह उक्त भूमि जहरले पदार्थ व रासायनिक उर्वरक आदि डालकर भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट कर देगें और भूमि में खड्डे आदि बनाकर उसे खराब कर देगे। बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि के अंकित खातेदार टेनेन्ट है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण बतौर अतिक्रमी काबिज होकर नाजायज लाभ प्राप्त कर रहे है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित करवाकर उक्त भूमि से बेदखल करवाने एवं उपरोक्त भूमि से अप्रार्थीगण के द्वारा प्राप्त किये जा रहे लाभों के लिए दिनांक 13.04.2017 से कब्जा प्राप्त करने के रोज तक चक में प्रचलित दर के हिसाब से ठेका राशि भी प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। यदि अप्रार्थीगण को उपरोक्त पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा। चूंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि के अंकित खातेदार टेनेन्ट है अप्रार्थीगण द्वारा इसी दौरान भूमि में जहरीले पदार्थ डालकर गड्डे आदि बनाकर भूमि को नष्ट करने की धमकी दी है। यदि वे अपने कृत्यों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए उपरोक्त भूमि पर वाद के लम्बन काल तक अप्रार्थी संख्या 4 को रिसीवर नियुक्त किया जावे एवं अन्तःकालिन लाभो के लिए अप्रार्थीगण से प्रतिभूति ली जावे एवं अप्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। व प्रार्थीगण के पास आय का एक मात्र साधन उक्त भूमि ही है प्रार्थीगण अन्य कोई कार्य करने में भी असमर्थ है इसलिए प्रार्थीगण के पास आय का एक मात्र साधन उक्त भूमि ही है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा में अप्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनती है। राजस्थान सरकार भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि चक 25 जी. बी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 86 प.नं. 168/418 का किला नं. 3, 8, 13, 15, 16, 18, 23, 25 का 2.024 है. नाली प्रथम खातेदारी रकबा में प्रार्थीगण के नाम से 0.506 है. भूमि पर अप्रार्थी संख्या 4 को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] गयी। अप्रार्थी सं. 1–2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 2 [illegible] जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रा[illegible] किया गया कि प्रार्थीगण किसी प्रकार उक्त भूमि के खातेदार नहीं है [illegible] जमाबन्दी में नुमाईशी नाम दर्ज हो जाने मात्र से किसी व्यक्ति को खाते[illegible] अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है प्रार्थीगण को किसी प्रकार के कोई अधिकार उक्तभूमि बाबत प्राप्त नहीं होने से प्रार्थीगण अनवानी प्रार्थना पत्र लाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण स्वंय के द्वारा प्रार्थना पत्र में अपना पता श्रीविजयनगर का अकिंत किया है एंव भूमि चक 25 जीबी में है जो कि श्रीविजयनगर से मात्र 1.5–2 किमी दूरी पर ही है व कभी भी अप्रार्थी के द्वारा वादीगण से भूमि हिस्सा ठेका पर लेने के लिए सम्पर्क नहीं किया है और न ही अप्रार्थी उक्त भूमि पर बतौर ठेकेदार काबिज

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:04 IST
Reason: SelfAttested

है बल्कि अप्रार्थी उक्त भूमि पर प्रारम्भ से ही बतौर मालिक काबिज है उक्त भूमि पूर्व में रांझासिंह के नाम से थी एंव उक्त भूमि बाबत समस्त हक हकूक रांझासिंह को हासिल थे जिनके द्वारा स्वेच्छा से वसीयत दिनांक 01.11.1989 मुझ अप्रार्थी सं. 1 व मेरे पुत्रो के पक्ष में की हुई है जिसकी प्रारम्भ से जानकारी प्रार्थीगण को रही है प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के द्वारा गलत मनगढंत, झूठे तथ्यो पर पेश किया है। विस्तृत विवरण अतिरिक्त आपत्तियों में दिया जा रहा है। प्रार्थीगण के द्वारा कभी भी उक्त भूमि हिस्सा ठेका पर प्रार्थीगण से प्राप्त नहीं की है बल्कि बतौर वसीयत उत्तराधिकार उक्त भूमि के समस्त खातेदारी राईट मुझ अप्रार्थी में औद्य हो जाने के कारण बतौर मालिक मैं उक्त भूमि पर प्रारम्भ से सभी के पूर्ण ज्ञान एंव सहमति से काबिज चला रहा है जो कि प्रार्थीगण के माता पिता के द्वारा गलत तरीके से उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवा लिया व इस भूमि बाबत झूठे वाद/विवाद विभिन्न समयो पर पेश करते रहे है किन्तु कभी भी प्रार्थीगण अपने गलत मनसुबो में सफल नहीं हो पाये है व उक्त वाद/विवाद के कारण से वसीयत अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज नहीं हो पाया है। पूर्व में भी प्रार्थीगण स्वंय व प्रार्थीगण की माता भीरो पत्नी सुखी के द्वारा एक वाद पत्र सं. 177/2012 माननीय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर के न्यायालय में अ.धा. 183 आर.टी.ए. का पेश किया गया था जो बाद में उक्त वाद में कार्यवाही को स्वंय वादीगण के द्वारा स्वेच्छा से बंद करवा दिया गया उक्त अनवानी वाद जो 2012 में पेश किया गया था में भी पक्षकारान व वादग्रस्त भूमि समान है व वाद के तथ्य भी समान है वर्ष 2012 में भी भूमि ठेका पर काश्त में अप्रार्थी सं. 1 के पास होना बताकर ठेका राशि अदायगी न करने पर वाद कारण प्राप्त होना बताया गया था जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2012 से पूर्व से ही लगभग पिछले 35–40 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर मुझ अप्रार्थी सं. 1 का ही कब्जा निरन्तर साधिकार चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण के उक्त भूमि में किसी प्रकार अधिकार न वो थे और न ही शेष नहीं रह गये है समस्त अधिकारो का लोप हो चुका है समस्त खातेदारी अधिकार मुझ अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त है एंव प्रतिकूल कब्जा निरन्तर मुझे अप्रार्थी का होने से भी समस्त खातेदारी अधिकार मुझ अप्रार्थी सं. 1 में औद्य हो चुके है इसलिए प्रार्थीगण अनवानी वाद/प्रार्थना पत्र लाने के अधिकारी नहीं है व प्रार्थीगण का नाम जो राजस्व रिकार्ड में नुमाईशी दर्ज हुआ है को हटाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में भी अनेक बार वाद पत्र पेश किये गये है जिनमें कार्यवाही स्वेच्छा से बंद कर दी गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को मुझ अप्रार्थी व पुत्रो के पक्ष में हुई वसीयत की प्रारम्भ से जानकारी है एंव मैं अप्रार्थी बतौर वसीयती अधिकार उक्त भूमि पर साधिकार काबिज पिछले 35–40 वर्षो से चला आ रहा हूँ प्रार्थीगण का नाम नुमाईशी तौर पर दर्ज हो गया है इसलिए उक्त भूमि पर ऐसी स्थिति में रिसिवर नियुक्त किया जाने पर मुझ अप्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा एंव मैं अप्रार्थी उक्त अपने साधिकार कब्जा में चली आ रही भूमि के सुखो से वंचित हो जाउगा तथा काश्त आदि में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडेगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थीगण को न तो वाद कारण हासिल है और न ही किसी प्रकार की क्षति या असुविधा है और न ही किसी प्रकार उनका प्रथम दृष्टया मामला है ... है कब्जा भूमि भी प्रार्थीगण का नहीं है इसलिए उन्हे किसी प्रकार ... होने की कोई शंका नहीं है। जब प्रार्थीगण को उक्त भूमि में कभी कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कभी अधिकार स्थापित हुआ है व न ही कभी कब्जा भूमि रहा है व न ही आज रोज है तो ऐसे में प्रार्थीगण के अधिकारो का हनन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है प्राथर्थीगण को उक्त भूमि में किसी प्रकार कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने से मुझ अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही प्रार्थीगण का वाद अ.धा. 183 व 88 आर.टी.ए. के अन्तर्गत है प्रार्थीगण का वाद अ.धा. 188, 92ए के तहत है इसलिए बिना खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाये प्रार्थीगण अनवानी वाद लाने के

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:04 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी नहीं है व चाहा गया अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। चूंकि प्रार्थीगण पूर्व में अनेक बार प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर चुके है व कार्यवाही स्वेच्छा से बंद करवायी जा चुकी है इसलिए प्रार्थीगण का वाद किसी प्रकार अन्दरमियाद नहीं माना जा सकता है प्रार्थीगण कर प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से काबिले खारिजी के है व पूर्व में समान पक्षकार एंव समान विषयवस्तु पर माननीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण की सुनवाई की जा चुकी है एंव निर्णित की जा चुकी है इसलिए माननीय न्यायालय को अब अनवानी वाद/प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण के द्वारा इसी आश्य का व इसी भूमि को लेकर समान पक्षकारों के मध्य समान विवाद बिन्दु पर पूर्व में वर्ष 2012 में वाद पेश किया था व इससे पूर्व भी कई बार वाद माननीय न्यायालय में पेश कर चुके है जिसमें कार्यवाही स्वेच्छा से वाधीगण के द्वारा बंद की जा चुकी है अब प्रार्थीगण जबरन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए उक्त भूमि में घुसना चाहते है जिसके लिए प्रयास भी किये गये है जिस कारण से ही गलत तथ्यों पर अनवानी वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्थग्न की आड में भूमि में जबरन कब्जा करनी की फिराक में है इसलिए प्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायहित में है कि मुझ अप्रार्थी के कब्जा में चली आ रही भूमि में किसी प्रकार स्वंय या अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से जबरन काबिज होने व चल रही किसी सुविधा को बाधित या बंद करने से बाज एंव मननू रहे हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम से रिकार्ड में बतौर खातेदार संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अपनी भूमि ठेका काश्त पर दी जाती थी अब अप्रार्थीगण द्वारा ना तो ठेका राशि अदा की जा रही है ना ही कब्जा भूमि प्रार्थीगण को सुपुर्द किया जा रहा है और अप्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्दबुर्द करने की फिराक में है। प्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड टिनेंट है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। मूल वाद पत्र के निस्तारण तक भूमि रिसीवर की नियुक्ति किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि भूमि प्रार्थीगण के पिता रांझा सिंह के नाम से थी, जिनको भूमि पर समस्त हक व अधिकार प्राप्त थे, उनके द्वारा उक्त भूमि जरिए वसीयत अप्रार्थी सं. 1 व उसके पुत्रों के पक्ष में हस्तांतरित कर दी थी। रिकार्ड में वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है जिसका लाभ उठाकर प्रार्थीगण ने रिकार्ड में विरासत आधार पर भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली है। जबकि वसीयत आधार पर भूमि पर अब प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार शेष नहीं है। मात्र रिकार्ड में भूमि नाम से दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर भूमि को प्राप्त करना चाहते है पूर्व में वाद पत्र पेश किया गया था जो स्वैच्छा से वापिस ले लिया। प्रार्थीगण भूमि में किसी प्रकार के अधिकारों की घोषणा करवाने तथा अप्रार्थीगण को भूमि पर अतिक्रमी घोषित करवा बेदखल करवाने के विधिक अधिकारी है। मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण को अप्रार्थी के कब्जा की भूमि में दखलंदाजी करने से बाज व मननू रहे हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:04 IST
Reason: SelfAttested

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में हिस्सानुसार खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा उनके हिस्सा की भूमि पर अविधिपूर्ण कब्जा कर लिया गया है, जिस कारण भूमि पर रिसीवर की नियुक्ति की जावे। इसके विपरीत अप्रार्थी का कथन है कि भूमि नुमाईशी तौर पर प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है, वास्तविकता में भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम से थी जिनके द्वारा भूमि वसीयत आधार पर अप्रार्थी व उसके पुत्रों के पक्ष में हस्तांतरित कर दी थी, वसीयत के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

नामान्तरण दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के नाम से भूमि रिकार्ड दर्ज विरासत आधार पर दर्ज हो गई। जिसका अनुचित लाभ प्रार्थीगण प्राप्त करना चाहते है, प्रार्थीगण का भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। ना ही प्रार्थीगण अप्रार्थी को भूमि पर से बेदखल करवाने के अधिकारी नहीं है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी की भूमि में दखलंदाजी करने से वर्जित रहने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति वसीयत एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा प्र.सं. 62/2000 भीरी बनाम माड़ा सिंह आदि अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.काश्त.अधि. निर्णय दिनांक 26.08.2002 का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में भूमि अप्रार्थी को ठेका पर दिया जाने और अप्रार्थीगण द्वारा ठेका राशि अदा करने तथा भूमि कब्जा लौटाने से इंकार करने का कथन अंकित किया गया है, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को प्रमाणित करने हेतु पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब पत्र में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अतिरिक्त नए तथ्य प्रकट किये गये है। भूमि पर हक अधिकार तथा अप्रार्थी भूमि पर अतिक्रमी है अथवा नहीं पर निर्णय मूल वाद में वाद बिन्दुओं पर उभयपक्ष से साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त गुणावगुण पर किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी की जानी उचित नहीं है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है ना ही पत्रावली पर भूमि को रिसीवर किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार उपलब्ध है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है, भूमि रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में बतौर खातेदार दर्ज है, अप्रार्थी द्वारा जवाब में अभिकथित वसीयत के आधार पर भूमि रिकार्ड में दर्ज करवाने संबंधित कार्यवाही किये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहे है। प्रार्थीगण भूमि के खातेदार है, रिकार्डेड टिनेन्ट के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नहीं है, यदि पारित की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

–: आदेश :–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक ...19/1/26... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:44:04 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर